

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प हिण्डौन

मुकदमा न०  
32/2017

किस्म मुकदमा  
धारा 136 एल आर एक्ट

तारीख रजु  
13.07.2017

तारीख फैंसला  
13.08.2022

उनवान

भरोसी बनाम सरकार

**आदेश**

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का लहचौडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सूरौठ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चंदीला तहसील सूरौठ जिला करौली की जमाबंदी सम्वत 2073-2076 में खाता संख्या 109 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	चंदीला	109 खसरा न० 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013/1127	पौथी, डोडी, लोहडे, भरोसी पि. मुख्खी	चौथी नोट:- पिता का नाम मुख्खी चौथी के स्थान पर चौथी का अंकन किया जावे।

(अमित सिंह)

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन

क्रमांक/कोर्ट/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. तहसीलदार सूरौठ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री भरोसी पुत्र चौथी जाति जाटव निवासी चंदीला तहसील सूरौठ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन